रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257549 CG-DL-E-27092024-257549

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3880]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946

No. 3880]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

का.आ. 4238(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग से परामर्श के पश्चात, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 7 के सामने, स्तम्भ (2) में, उप-शीर्ष "अन्य देख-रेख वृत्तिक" के अधीन , स्तम्भ (3) में, मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(iv) सूचीवेध वृत्तिक 2230, 3230".

[फा. सं. जेड-28016/26/2024-एएचएस]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

6282 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2024

S.O. 4238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government, after consultation with the National Commission for Allied and Healthcare Profession, hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act, namely:-

In the said Schedule, against serial number 7, in column (2), under sub-heading "Other Care Professionals", in column (3), after item (iii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

"(iv) Acupuncture Professionals 2230, 3230".

[F.No. Z-28016/26/2024-AHS]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.